…D PART – IV EXTRA ORDINARY)

1338/C

1354/C

(दिल्ली राजपत्र भाग–IV असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)
परिवहन विभाग
5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली–110054

फा0 संख्या .19(05)/परि0/सचिव/2017/

दिनांकः–

अधिसूचना

फा. सं. 19(05)/परि0/सचिव/2017/–.– "दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 में आगे संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 127 की उपधारा (3) तथा धारा 2 की उपधारा 41 के साथ पठित धारा 138 की उपधारा (2) के खंड (ङ), (ज) और (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा प्रस्ताव करते हैं, कि संभावित रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 212 द्वारा अप्रेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके पश्चात् सरकार द्वारा प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव अपर मुख्य सचिव–सह–आयुक्त, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उनके कार्यालय 5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली–110054 पर या ईमेल **commtpt@nic-in** पर प्राप्त किए जाएंगे।

नियम

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ – इस नियम को दिल्ली पार्किंग रखरखाव और प्रबंधन (संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाएगा ।

दिल्ली पार्किंग रखरखाव और प्रबंधन नियमावली, 2019 में ,

नियम की धारा 16 के स्थान पर

"बशर्ते कि सात दिनों से अधिक समय तक वाहन की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु शुल्क उपरोक्त राशि से दोगुना होगा। यदि जब्त/टो किए गए वाहन को नब्बे दिनों की अवधि के भीतर छुडाया नहीं जाता है, तो पंजीकरण प्रमाण–पत्र में दर्ज पते के अनुसार पंजीकृत मालिक को पंद्रह दिनों के भीतर वाहन को मुक्त कराने के लिए पंद्रह दिनों का नोटिस दिया जाएगा। यदि पंजीकृत मालिक नोटिस की अवधि के भीतर वाहन को मुक्त कराने में विफल रहता है, तो ऐसे वाहन को जब्त करने वाली/टोइंग एजेंसी द्वारा सार्वजनिक नीलामी में रखा जाएगा।"

निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा

"बशर्ते कि सात दिनों से अधिक समय तक वाहन की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु शुल्क उपरोक्त राशि से दोगुना होगा। यदि जब्त/टो किया गया वाहन पंजीकृत वाहन है और तीस दिनों की अवधि के भीतर उसे छुडाया नहीं जाता है, तो पंजीकरण प्रमाण–पत्र में दर्ज पते के अनुसार पंजीकृत मालिक को सात दिनों के भीतर वाहन को मुक्त कराने के लिए सात दिनों का नोटिस दिया जाएगा। यदि पंजीकृत मालिक सात दिनों के भीतर वाहन को मुक्त कराने में विफल रहता है, तो ऐसे वाहन को जब्त करने वाली/टोइंग एजेंसी द्वारा सार्वजनिक नीलामी में रखा जाएगा।"

1353/C

बशर्ते कि, अपंजीकृत/विपंजीकृत वाहन (माल या यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है) के मामले में, यदि जब्त/टो किए गए वाहन को दस दिनों की अवधि के भीतर नहीं छुड़ाया जाता है, तो वाहन के चालक द्वारा दिए गए पते पर सात दिनों का नोटिस दिया जाएगा, जिससे वाहन जब्त किया गया है और वाहन को सात दिनों के भीतर छुड़ाने के लिए जब्त करने वाला/टोइंग विभाग/एजेंसी की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा। यदि वाहन का मालिक/चालक सात दिनों के भीतर वाहन को छुड़ाने में विफल रहता है, तो ऐसे वाहन को जब्त करने वाली/टोइंग एजेंसी द्वारा सार्वजनिक नीलामी में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(प्रशांत गोयल)
अपर मुख्य सचिव–सह–आयुक्त (परिवहन)

फा0 संख्या.19(05)/परि0/सचिव/2017/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को :–

1. विशेष कार्याधिकारी, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. अवर सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ), भारत सरकार, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001।
4. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. नि0स0 अपर मुख्य सचिव–सह–आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. नि0 स0 विशेष आयुक्त, सड़क सुरक्षा (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।
7. उप–निदेशक (भाषा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. अवर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. सचिव (सा0प्र0वि0) एवं (समन्वय), सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली को दिल्ली राजपत्र, भाग IV (असाधारण) में प्रकाशन हेतु अनुलिपि में, इस अनुरोध के साथ कि राजपत्र की प्रतियां कृपया कार्यालय उपयोग हेतु इस विभाग को अलग से उपलब्ध कराई जाएं।

(प्रशांत गोयल)
अपर मुख्य सचिव–सह–आयुक्त (परिवहन)

1337/C
4pdr
Draft
1351/C

(TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTED PART - IV EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI)
TRANSPORT DEPARTMENT
5/9 UNDER HILL ROAD, DELHI-110054

No.F.19(05)/Tpt./Sectt/2017/

NOTIFICATION

Dated: -

F.No 19(05)/Tpt/Sect/2017/-. - "The following draft of the rules, further to amend the Delhi Motor Vehicle Rules, 1993, which the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (e), (h) and (i) of sub-section of (2) of Section 138 read with sub-section (3) of Section 127 and sub-section of 41 of section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988, is published as required by section 212 of the said Act for the information of the persons likely to be affected thereby. Notice is hereby given that the draft will be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of **thirty** days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

The objections or suggestions in this behalf shall be received by Additional Chief Secretary cum Commissioner, Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi in his office at 5/9 Under Hill Road, Delhi-110054 or on email at commtpt@nic.in.

Rules

Short title and commencement - This rule may be called **Delhi Maintenance and Management of Parking (Amendment) Rules, 2024.**

In the **Delhi Maintenance and Management of Parking Rules,** 2019,

At section 16 of the rule, in place of

"Provided that the charge for safe custody of the vehicle beyond seven days shall be twice the above amount. In case, the impounded / towed vehicle is not got released within a period of ninety days, a notice of fifteen days shall be served to the registered owner as per the recorded address in the registration certificate to get the vehicle released within fifteen days. If the registered owner fails to get the vehicle released within the period of notice, such vehicle shall be put to public auction by the impounding / towing agency".

The following shall be substituted

"Provided that the charges for safe custody of the vehicle beyond seven days shall be twice the above amount. In case, the impounded / towed away vehicle is a registered vehicle and is not got released within a period of thirty days, a notice of seven days shall be served to the registered owner as per the recorded address in the registration certificate to get the vehicle released within seven days. If the registered owner fails to get the vehicle released within seven days, such vehicle shall be put to public auction by the impounding / towing agency".

Provided that, in case of an unregistered/deregistered vehicle (used to carry goods or passengers), if the impounded/towed away vehicle is not got released within a period of ten days, a notice of seven days shall be served on the address as given by the driver of the vehicle from whom the vehicle is seized as also put on the website of the impounding /towing Department /agency to get the vehicle released within seven days. If the owner/driver of the vehicle fails to get the vehicle released within seven days, such vehicle shall be put to public auction by the impounding / towing agency".

By order and in the name of the
Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi

(Prashant Goyal)
Addl. Chief Secretary-cum-Commissioner (Transport)

ORDINARY)

1337/C
4pd

1350/C

19/C

No.F.19(05)/Tpt./Sectt/2017/ Dated: -

Copy to:-

1. OSD to the Hon'ble Lt. Governor, GNCT of Delhi.
2. Secretary to Chief Minister, GNCT of Delhi.
3. Under Secretary to the Govt. of India, Govt. of India, Ministry of Road Transport & Highways (Road Safety Cell), Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110001.
4. SO to Chief Secretary,GNCT of Delhi.
5. PS to Addl. Chief Secertary –cum-Commissioner (Transport), GNCT of Delhi.
6. PA to Special Commissioner, Road Safety (Transport), Govt. of NCT of Delhi.
7. Dy. Director (Language), Govt. of NCT of Delhi.
8. Under Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi.
9. Secertary (GAD) & (Co-ordination), General Administration Department, GNCT of Delhiin duplicate for publication in the Delhi Gazette, Part IV (Extra Ordinary) with the request that the copies of the gazette may please be supllied to this department separately for official use.

(Prashant Goyal)
Addl. Chief Secretary-cum-Commissioner (Transport)